संख्या-264/2026/आई/1514724/2026/002-23-9002-002-17-2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0 डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में विभिन्न जनपदों के 03 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0 डी0एफ0 योजनान्तर्गत देवीपाटन मण्डल में विभिन्न जनपदों के 03 मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के चालू कार्य हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 10,93,45,000/- (रूपये दस करोड़ तिरानबे लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियन्ता (मु0-1),लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/ स्वीकृत लागत/प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25375/CE-HQ1/RIDF31 WS/GON/2026-27 Dt- 02-11-2026	नि0ख0-1 बहराइच	इकौना विशेश्वरगंज गंगा जमुनी मार्ग के कि0मी0 14.00 से 35.380 तक का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	61/2026/आई/1269148/2026/001-23-9002(002)/38/2025-दिनांक-17-03-2026	3889.64 91.41 3981.05 3942.39	13.34	3929.05	929.33	2908.31	500.00
2	25375/CE-HQ1/RIDF31 WS/GON/2026-27 Dt- 02-11-2026	नि.ख. बलरामपुर	गुमडी रेहरा सादुल्लानगर (अन्य जिला मार्ग) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	62/2026/आई/1268868/2026/001-23-9002(002)/39/2025-दिनांक-17-03-2026	4290.36 86.81 4377.17 4377.17	42.23	4334.94	1654.12	2594.01	500.00
3	25231/CE-HQ1/RIDF26/ GON/2026-27 Dt- 23-10-2026	प्रा.ख. गोण्डा	दर्जीकुआं मनकापुर बभनान मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य	139/2021/आई0/96144-लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-09-09-2021	4505.82 415.35 4921.17 4921.17	37.69	4883.48	4468.13	415.35	93.45
			योग							1093.45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्धिरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,93,45,000/- (रूपये दस करोड़ तिरानबे लाख पैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043378300 नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव ।

संख्या-264/2026/आई/1514724/2026(1)/002-23-9002-002-17-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in